वह यह था कि मिनिमम प्रोग्राम के तहत क्रिश्चियनों में जो लोग दलित हैं, पिछड़े हैं उनको भी मंडल कमीशन की सिफारिशात के तहत रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही यह बात देश के समाचार-पत्रों में छपी और देश के लोगों तक आई तो कुछ संगठनों ने इसका बड़ी ही सख्त विरोध किया और कहा कि इससे धर्म परिवर्तन को सहारा मिलेगा। कुछ लोग क्रिश्चियन होकर, मज़हब बदलकर इस राहत का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसका एक अच्छा खासा माहोल देश में बना और मोर्चे का किया हुआ वायदा रह गया और एक ऐसी भावना उभरकर सामने आई जिसने 47 के बाद देश को काफी कमज़ोरी का सामना करना पड़ा है। मैं कहना चाहूंगा और इसमें जानना भी चाहूंगा कि इस 90-95 करोड़ के देश में मज़हबों के बहुत से इख्तिलाफ हैं, अलग अलग जुबानें हैं, अलग अलग नस्लों के लोग हैं। कुछ लोगों को बाहर से आया हुआ बताया जाता हैं और कुछ लोगों को यहां की पैदावार बताया जाता है। लेकिन हैं सब हिन्दुस्तानी। धर्म परिवर्तन के बाद उनकी शहरियत नहीं बदल जाएगी, उनकी वतनियत नहीं बदल जाएगी। उनका आसमान हिन्दुस्तान की ज़मीन के ऊपर का आसमान होगा। रोशनी उसी सूर्य की होगी और उसी चांद की ठंडक होगी। अगर हमारी यह मंशा है कि हिन्दी हिन्दू हिन्दूस्तान तो फिर बाकी यहां रहने वाले इंसानों के लिए हिन्दुस्तान में क्या जगह होगी। मैं साम्प्रदायिकता की बात करने वाले लोगों से जानना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसा माहोल बना दिया कि बहुत ही कमज़ोर वर्ग के लोग, एक बहुत ही कम तादाद में रहने वाले लोग दिल्ली की सड़कों पर आए। मैं उन नन्स की बात कहता हूं जो कि बहुत कम बाहर निकलती हैं, यही उनकी पहचान हैं दिल्ली की सड़कों पर उनको देखकर किसी को भी बहुत अच्छा नहीं लगा। यह जो हुआ यह बहुत डीसेंट नहीं हुआ। उन्हें सरकार का अपना वायदा याद दिलाने के लिए आना पड़ा, उसके लिए यह नौबत पेश आई। चुनांचे मंडल कमीशन की सिफारिशात के तहत जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं उनके लिए धर्म का कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। इस बुनियाद पर अगर समाज के इस कमज़ोर तबके का उठाने की बात की जाए तो यह गलत नहीं होगा। मंडल कमीशन की सिफारिशें इसलिए नहीं हुई हैं कि वे इससे कोई सियासी फायदा उठाना चाहते थे या किसी वर्ग को सत्ता से हटाकर किसी वर्ग को सत्ता में लाना चाहते थे। आम ज़िंदगी में यह होता है कि कमज़ोर बच्चा अगर घर में पैदा होता है कि उसके लिए दवा का इंतज़ाम अलग से होता है, उसके लिए दूध का इंतज़ाम अलग से होता है, उसके लिए फलों का इंतज़ाम अलग से होता है। चुनांचे यह कहना कि रिज़र्वेशन देकर कोई सियासी कदम उठाया गया है, यह बिल्कुल सही नहीं है। हम देश की ज़िन्दगी में कमज़ोर वर्गों के लिए अलग से कुछ करेंगे क्योंकि पूरा देश एक परिवार है और सरकार उसकी मुखिया की हैसियत रखती है। चुनांचे सरकार एक मुखिया की हैसियत में रहते हुए देश में रहने वाल तमाम कमज़ोर तबकात-बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि पूरी दुनियां के देशों में जो अकलियत हैं, जिनको अल्पसंख्यक कहते हैं, माइनारिटीज कहते हैं, उनके लिए खास अख्तियारात हैं। जब हमारा दस्तूरे हिन्द बना तो उसमें इस बात का खास ख्याल रखा कि अल्पसंख्यक तालीमी तौर पर पिछड़े न रहें, अल्पसंख्यक मांसी तौर पर पिछड़े न रहें, समाजी तौर पर पिछड़े न रहें और उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव न हो जिससे ज़बरन उनको मजहब बदलकर - जैसे उन्हें कभी कभी मेन धारा में लाने की बात होती है, इसके लिए उन्हें मजबूर न किया जा सके क्योंकि सबसे ज्यादा मुकद्दस चीज, सबसे अहम चीज है इंसान की जिंदगी। अगर ज़िंदा रहने के लिए लोगों को मजबूर किया जाएगा कि वह किसी खास अंदाज से जियें तो जब लोग अपनी जिंदगी की डर से तंग होते हैं तो हो सकता है कि वे अपने आप को बदलने पर आमदा हो जायें। लिहाजा देश में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक हैं, कमजोर लोग हैं उनको यकीनन यह हक़ होना चाहिए और उनका यह हक है कि वह सरकार से मांग करें कि उनको भी जमाने के साथ चलने और राहतों के वह सारे जराय मुहैया हों जो दूसरे लोगों को है। चुनांचे मैं इस जीरो आवर के माध्यम से, आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से दो रोज पहले दिल्ली में जो मार्च हुआ है, आपका वायदा भी है कि संयुक्त मोर्चे की सरकार से मंडल कमीशन की सिफारिशात के तहत वे सारी सहूलियतें मिलेंगी जो दूसरी कम्युनिटी को हासिल है, जो दूसरे वर्गों को हासिल है। ये सहूलियतें उनको भी मिलनी चाहिए। वायदे पूरे ही नहीं होने चाहिए बल्कि वायदा वफा होना चाहिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : महोदया, मैं इससे अपने का एसोसियेट करती हूं।

Re. Difficulties Faced by Cardamom Growers due to Smuggling of Guatemala Cardamom to India

SHRI JOY NADUKKARA (Kerala): Madam, thank you for giving me this opportunity. I would like to bring to the notice of this House certain problems the cardamom

cultivators in this country are facing. There are two important aspects; one is smuggling of cardamom into the country and the second one is,, import of cardamom to the country. Madam, as per the study of 31.03.1991, about 81,000 peasants are employed in cardamom cultivation. The cardamom cultivation covers an area of 1,05,000 hectares. Most of the cultivation is concentrated in Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. In Tamil Nadu there is 6,000 hectares of cultivable area, in Kerala, the area is about 44,000 hectares and in Karnataka, it coveres 31,000 hectares. The main market for this cardamom produce is our domestic market itself. At the same time, we are exporting it also. Earlier our export was high but it was decreasing gradually. In the year 1985-86, the export was about 3,000 tonnes. In the year 1990-91, the export was only 500 tonnes; in the year 1991-92, the export was 400 tonnes; and in the year 1992-93, the export further decreased to 175 tonnes. The fundamental aspect of this is, while we are trying to export it, the Government is importing it. The import of cardamom is crashing the domestic market. Madam, I would like to say that we are importing cardamom mainly from Guatemala because it is cheaper and the quality is low. My point is, we are importing it in spite of low quality. To one of my questions on import of cardamom, in this House, it was stated that import of small cardamom in 1995-96 was 53 tonnes; large cardamom was 2,552 tonnes and others was 20 metric tonnes. The total was 2,625 tonnes.

At present there is a flow of Guatemalan cardamom to India through import and through smuggling. The smuggling is mainly through the borders of Nepal, Bangladesh and the port of Calcutta. Madam, if vigilant action is not taken to check this smuggling of cardamom, then it will crash the domestic market. During the month of November smuggling increases because this is the period of taking harvest in Guatemala. This Guatemalan cardamom can easily be identified because its shape is irregular and smell is not good. So, it is easy to identify. If we make a thorough check in our domestic market—Barahanpor, Sillguri, Bombay, Kanpur etc.—we can find out the Guatemalan cardamom. If the quantity of cardamom is excess in domestic market, then the allegation of smuggling is correct and the Government has to take strong steps to check that. My appeal to the Government is, to strengthen the vigilance at the border areas and inspection of the domestic market in the country The flow of the Guatemalan cardamom can be checked.

The second point I would like to raise is the cess on export of cardamom. Since 1992 there has been periodical extension up to 31.03.1996. In this year, i.e. 1996, it was not extended. Representations were made to the Government and later on it was extended but w.e.f 01.08.1996. Because of this, the exporter has to pay the cess for the period from 01.04-1996 to 31-07-1996 though it was not his fault. It is the fault of the Government, Government's failure to take a decision at the proper time. My appeal is, for the delay of the Government the exporter should not be penalised. My submission is, the mistake should be corrected. The Ministry of Commerce represented to the Finance Ministry to correct the mistake. It is still pending with the Finance Ministry. My request to the Ministry of Finance is to take a decision in correcting the mistake. Thank you.

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Madam, I associate myself with the views expressed by hon. Member, Shri Nadukkara. This is causing great misery to the poorer sections of the growers in the country. I would request the Government to take appropriate measures to stop the smuggling of Guatemalan cardamom to India.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Moolchand Meena.

DR. BIPLAB DASGUPTA (West Bengal): Madam, the hon. Minister of Welfare is here. I would request him to make a statement on the matter we discussed yesterday.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There would not be any statement because once there is a statement, there would always be clarifications. *(Interruptions)*

SHRI RAMACHANDRAN PILLAI: This is a very serious matter, Madam, *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: No statement. What the Minister said yesterday was that he would inform the House as to what had been done. Has anything been done, Mr. Minister?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA): Madam, I was directed by the Chair yesterday that I should let the House know as soon as the information comes to me. I am here for that purpose since morning. The moment I get the information, I will inform the House. I think within half-an-hour, the information may come.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Okay. *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There would be no statement and no clarifications. It is good that the Minister has come to tell us.

DR. BIPLAB DASGUPTA: We are satisfied.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are happy to find that the Minister has been gallant enough. Not many Ministers offer to put their neck before the Rajya Sabha. मंत्री जी, अब आपको इजाजत है कि आप जाकर मालूमात करके वापस आ जाइये।

Now, Shri Moolchand Meena, please.

RE. FILLING UP OF VACANCIES OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN RAILWAYS

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान) : मैडम, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान रेल विभाग के अंदर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है इसकी ओर दिलाना चाहता हूं। यह सरकार हाउस के बाहर जाकर सामाजिक न्याय की बात तो करती है लेकिन शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्ल्ड ट्राइब के इन अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में इस हाउस के अन्दर भी चर्चा हुई थी, रेल मंत्री जी ने यह कहा कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के कर्मचारियों के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा होगा तो इन अन्याय करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जरूर मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करूंगा। लेकिन यह सरकार की गति इस प्रकार की है, न इस सरकार की आंखें हैं, न इस सरकार के कान हैं, न इसके हाथ-पैर हैं, केवल इनके मुंह जरूर हैं जो कई प्रकार की घोषणाएं करते रहते हैं, कई प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन प्रैक्टीकल में जो काम होना है, जो सामाजिक न्याय इन लोगों को मिलना है उसकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मुझे आशा थी कि राम विलास पासवान जी जो शैड्यूल्ड कास्ट से आते हैं वह शायद शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को रेल विभाग के अंदर तो अवश्य राहत दिलायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती के लिए परीक्षा ले ली गई, रिज़ल्ट निकाल दिए गए लेकिन उन लोगों को पोस्टिंग नहीं दी गई है। इस प्रकार की कार्यवाही पटना और जालंधर में हुई है। साथ ही शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके साथ पदोन्नति में जिस प्रकार का व्यवहार आज हो रहा है वह बहुत अशोभनीय है। उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जितनी निंदा हम करें उतनी ही कम है।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती रेणुका चौधरी) पीठासीन हुई]

जूनियर स्केल के लोगों को प्रोमोशन दे दिए जाते हैं लेकिन सीनियर शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के अधिकारियों को प्रोमोशन नहीं दिए जाते हैं। मैंने यह बात पिछले सत्र में भी उठायी थी कि बंबई के अंदर सलैक्शन ग्रेड में प्रोमोशन होने थे लेकिन जो जूनियन लोग थे उनको प्रोमोशन दे दिया गया जब कि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के कई कर्मचारियों को प्रोमोशन नहीं दिया गया। स्थिति यह है कि जब वे कर्मचारी लोग प्रोमोशन के लिए मिलते हैं तो यह कहते हैं कि जगह नहीं है और प्रोमोशन आए दिन महीने, दो महीने में दो-तीन कर्मचारियों का प्रोमोशन करते रहते हैं। मैडम, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सामाजिक न्याय की बात तो पब्लिक में करते हैं, सामाजिक न्याय शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को रेल विभाग के अंदर दिलाया जाए जिससे उनके जो अधिकार हैं, जो नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई है, रिज़ल्ट निकाल दिए गए लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई और जो प्रोमोशन के अधिकारी हैं जिनको प्रोमोशन मिलना चाहिए, पदोन्नति मिलनी चाहिए उनको पदोन्नति नहीं दी जा रही है। उनका यह न्याय मिलना चाहिए। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप सामाजिक न्याय की बातें करते हुए एक कार्य को परिणत रूप में प्रैक्टीकल रूप में सामाजिक न्याय दिलाएं जिससे शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब के कर्मचारियों का